जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

Ref: BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/4949 Date: 24-01-2022

प्रेषक

बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

सेवा में

श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

विषय: बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) अंतर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना का क्रियान्वयन उन पंचायतों में जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत के रूप में घोषित किया गया में करने तथा सतत् जीविकोपार्जन योजना का संचालन नगर क्षेत्रो में भी करने के सन्दर्भ में।

महाशय

बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत जीविकोपार्जन के अधिकाधित अवसर के सृजन में सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2007 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना प्रारंभ किया गया।

1. वर्ष 2011-12 में केंद्र सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY) के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) तथा स्वर्णजयंती शहरी रोज़गार योजना (SGSRY) के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को लागू करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त योजनाओं का उद्देश्य निर्धन परिवारों का आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की गरीबी एवं विषमताओं की लाभकारी स्वरोजगार एवं कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक पहुँच को सुलभ बनाकर उनकी आजीविका में स्थायी सुधार करना है।

2. वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया।

इसके आलोक में जीविका द्वारा 534 प्रखंडो में चरणबद्ध तरीके से परियोजना का क्रियान्वयन करते हुए 1.27 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 10.31 हज़ार स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया तथा 67 हज़ार ग्राम संगठन तथा 1324 संकुल संघ का गठन किया गया। परियोजना द्वारा सामुदायिक संगठनो को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में लगभग ₹ 7 हज़ार करोड़ उपलब्ध कराया गया एवं बैंकों के माध्यम से ₹ 17 हज़ार करोड़ ऋण प्रदान किया गया।

3. विभागीय संकल्प सं0- 372432 दिनांक 31.5. 2018 द्वारा **"सतत् जीविकोपार्जन योजना"** को बिहार राज्य के 534 प्रखंडो के देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन तथा आय आधारित अन्य गतिविधियों से जोड़ने हेतु प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में योजना का अवधि विस्तार अगले तीन वर्षो (2021-2024) के लिए किया गया।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत अनुमानित एक लाख अत्यन्त निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन एवं आय आधारित गतिविधियों से जोड़ने के लक्ष्य के विरुद्ध में अबतक कुल 1,31,780 परिवारों का चयन किया गया एवं 1,14,482 परिवारों को जीविकोपार्जन एवं आय आधारित गतिविधियों से जोड़ा गया है ।

4. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 404 ग्राम पंचायतों को समय – समय पर नगर पंचायतों के रूप में घोषित किया गया। इन नगर पंचायतो के लगभग 5 लाख परिवारों को 40 हज़ार समूहों से जोड़ा गया तथा 3186 ग्राम संगठनो का गठन किया गया। परियोजना द्वारा सामुदायिक संगठनो को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में लगभग ₹ 240 करोड़ उपलब्ध कराया गया एवं बैंकों के माध्यम से ₹ 215 करोड़ ऋण प्रदान किया गया।

जीविका द्वारा इन नगर पंचायतों में गठित सामुदायिक संगठनों के माध्यम से जीविकोपार्जन गतिविधियाँ, स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधित प्रशिक्षण, सामाजिक विकास के कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इन सामुदायिक संगठनों को और सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने हेतु जीविका के द्वारा निरंतर सहयोग देना आवश्यक प्रतीत होता है। नगर पंचायतों में कार्यरत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के उपलब्ध संसाधन से योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन होगा।

5. अतः प्रस्ताव है कि :-

क) जीविका – बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनो से सम्बंधित गतिविधियों का संचालन उन पंचायतों में जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत के रूप में घोषित किया गया में करने तथा उन नगर पंचातों में शेष बचे हुए योग्य परिवारों को समूहों से जोड़ने की अनुमति दी जाय।

ख) जिला प्रशासन के सहयोग से कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने लायक परिवारों को पाया गया है। अत: सतत जीविकोपार्जन योजना का संचालन नगर क्षेत्रों में भी करने की अनुमति दी जाय।

अनुरोध है कि इस सन्दर्भ में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) अंतर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना का क्रियान्वयन उपर्युक्त नगर पंचायतों में तथा सतत् जीविकोपार्जन योजना का संचालन नगर क्षेत्रो में भी करने हेतु अनुमति देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(बालामुरुगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी